B- II
L-29
I. Polity

मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमण्डल :-

मंत्रिपरिषद
⇓
प्रधानमंत्री
⇓
मंत्रिमण्डल

मंत्रिपरिषद :-

संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है लेकिन मंत्रियों के विभिन्न प्रकार का उल्लेख नही किया गया है। इसका उल्लेख सांसदों के वेतन, भत्ते अधिनियम 1952 में किया गया है जिसके अनुसार अधिनियम में चार प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है-

(i) कैबिनेट मंत्री
(ii) राज्य मंत्री
(iii) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(iv) उपमंत्री

मंत्रिपरिषद के नाम पर सभी निर्णय मंत्रिमण्डल के द्वारा लिए जाते हैं जो कैबिनेट मंत्री का समूह है। 91वें संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

लेकिन कैबिनेट का आकार अभी भी निर्धारित नही है और सामान्यतः मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या 25 से 30 के बीच में होती है जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है और मंत्रिमण्डल की बैठकों को व्यवस्थित एवं व्यवहारिक बनाने हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न मंत्रिमण्डलीय समितियों का गठन किया जाता है।

जिसमें मंत्रिमण्डल की राजनैतिक, सुरक्षा, आर्थिक मामलों की समिति जैसी आठ प्रमुख समितियाँ हैं।

संविधान के अनुसार अनु० 75(6) कोई भी व्यक्ति सांसद हुए बिना भी मंत्री हो सकता है लेकिन केवल 6 माह के लिए और कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है बिना सांसद हुए ऐसा न्यायलय का निर्णय है।

संविधान अथवा विधि में मंत्रियों को मंत्रीमण्डल में शामिल करने के किसी आधार का उल्लेख नही किया गया है लेकिन मंत्रियों को शामिल करने के निम्नलिखित व्यवहारिक आधार देखे जा सकते हैं

(i) क्षेत्रीय, जातीय, भाषाई और लैंगिक प्रतिनिधित्व, निष्पादन, कुशलता, उम्र आदि।

Scanned by CamScanner

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया निम्नतम गवर्मेंट अधिकतम गवर्नेंस जिसका अभिप्राय है कि उन्होंने यह संकेत दिया कि सरकार का बड़ा आकार या मंत्रिमण्डल का बड़ा आकार सुशासन के विचार के विरुद्ध है क्योंकि सुशासन में परिणाम का महत्व होना चाहिए प्रक्रिया का नही और मंत्रालयों के बड़े आकार के कारण निर्णय में विलम्ब होता है समन्वय सामंजस्य में कठिनाई होती है।

अमेरिका और चीन जैसे राज्यों में मंत्रिमण्डल का आकार लगभग 25 है परन्तु भारत में अभी भी मंत्रालयों की संख्या लगभग 55 है। सभी समूहों के समावेशन के कारण मंत्रालयों की संख्या कम नही हो पायी।

इसलिए इस समस्या का एक तकनीकी समाधान निकाला गया, जिसे 'गति शक्ति योजना' के रूप में जाना जाता है।

- यह योजना विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय एवं सामंजस्य का डिजिटल माध्यम है जहाँ आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े हुए 16 विभिन्न मंत्रालयों का एकीकरण किया गया है जिससे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच फाइल भेजने एवं अन्य मंत्रालय के निर्णय को दूसरे मंत्रालय को त्वरित रूप में बताया जा सके।

Scanned by CamScanner

संसदीय शासन का अध्यक्षीय कार्यकरण

- संसदीय शासन में मुख्यतः लोकसभा के चुनाव के बाद लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्य अपने बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का चयन करते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में फिलहाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर सांसदों एवं विधायकों का निर्वाचन किया जा रहा है।

- संसदीय शासन में प्रधानमंत्री कैबिनेट सहयोगियों के समकक्ष होते हुए भी उनसे प्रधान होता है लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के समकक्ष होने का कोई दावा नहीं कर सकता।

- संसदीय शासन में कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण होता है लेकिन लोकसभा में एक दल प्रभावी बहुमत होने के कारण कार्यपालिका का नियंत्रण संसद पर हो गया है।

मंत्रिमण्डल

कैबिनेट सचिवालय
↓
कैबिनेट सचिव
↓
सहायक सचिव
↓
संयुक्त सचिव
↓
अवर सचिव

मंत्रिपरिषद

केन्द्रीय सचिवालय
→ गृह, रेल, वित्त

प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधान सचिव
↓
सहायक सचिव
↓
संयुक्त सचिव
↓
अवर सचिव

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों के साथ PMO की शक्ति में वृद्धि स्वभाविक है। प्रधानमंत्री सचिवालय का पहला विचार लाल बहादुर शास्त्री (1964) के द्वारा स्थापित किया गया जिसे बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम दिया गया, जिसकी मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करना है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्मिक मंत्रालय का प्रमुख है तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा महासागरीय विभाग को भी देखता है।

- प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष है अंतर्राज्यीय परिषद का मुखिया है और वैश्वीकरण के दौर में अनेक शिखर सम्मेलनों में भागीदारी करता है जैसे G-20, जिसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय उसे सहायता देता है।

मूल चुनौती यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की बढ़ती शक्तियों से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका कैबिनेट सचिव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। और प्रधानमंत्री सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय से प्राथमिक बनता जा रहा है

- संसदीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय के सचिव अपने मंत्रियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जबकि हाल में लगभग सभी मंत्रालयों के फाइल पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नियंत्रण हो गया है और मंत्रिमण्डल के संबंध में प्रमुख निर्णय कैबिनेट सचिव के बजाय प्रधान सचिव ही ले रहे हैं।

Scanned by CamScanner

निष्कर्ष :-

शक्तियों का केन्द्रीकरण लोकतंत्र के विरुद्ध है क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति के बजाय संस्थाओं का महत्व होना चाहिए। और लोकतंत्र में व्यक्ति के बजाय विधि का शासन और संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता देनी चाहिए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner